

अचल सम्पत्तियों के लिए सार्वजनिक नीलामी बिक्री सूचना

जबकि, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी अधिनियम 2002) (2002 का 54) एवं प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम 2002 की धारा 13 (12) संपत्ति नियम 8 (6) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित ऋणियों को एक मांग नोटिस जारी की गई थी तथा बंधक सम्पत्तियों पर कब्जा भी लिया गया है। इस सूचना के द्वारा सार्वजनिक रूप से जनसामान्य व ऋणी/बंधककर्ता/जमानतकर्ता को सूचित किया जाता है कि सम्बन्धित मामलों में बकाया धनराशि की वसूली हेतु नीचे दर्शायी गई सम्पत्तियों की बिक्री प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के निम्नलिखित विवरणानुसार उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक फैजाबाद के ऋण खाते में बन्धक रखी हुई सम्पत्तियों की नीलामी 'जहाँ है जैसी है, जो है जैसी है, जो कुछ भी है' के आधार पर नीलामी हेतु प्राप्त टेण्डरों में से सर्वाधिक राशि के टेण्डरों के पक्ष में की जायेगी। जनसाधारण और विशेष रूप से कर्जदार (रों) और गारंटीदाता (ओं)/बंधककर्ता (ओं) को एतद्वारा दोबारा सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने सरफेसी अधिनियम, 2002 के अधीन निम्नांकित अचल सम्पत्तियों के लिए बोली/निविदाएं/आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। इसलिए, इच्छुक व्यक्तियों/बोलीदाताओं को **05.08.2025** को या उससे पहले, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक **क्षेत्रीय कार्यालय : अयोध्या, पोस्ट-साहेबगंज, जिला-अयोध्या 224001 (यू.पी.)** में मुहरबन्द लिफाफे में, निम्नांकित नियम व शर्तों को पूरा करके अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। बोली **06.08.2025** को खोली जाएगी। उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूति आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के सन्दर्भ में उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबन्धों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

शाखा का नाम व ऋणी/ बंधककर्ता का नाम	अचल सम्पत्ति का विवरण बंधक/सम्पत्ति का नाम (बंधक सम्पत्ति/या परिसम्पत्ति से संबंधित सभी भाग व हिस्सों सहित)	अ) मांग सूचना तिथि	अ) आरक्षित मूल्य
		ब) अधिग्रहण तिथि	ब) धरोहर राशि
		स) बकाया धनराशि	स) अधिग्रहण के प्रकार

शाखा : मोहम्मदपुर हमजा मो. 9151056413

उधारकर्ता— मैसर्स लक्ष्मी चावल उद्योग प्रो श्री. ठाकुरदत्त मौर्य पुत्र सोमाई पता— मंगुखडिला पोस्ट—जलालपुर जिला—अंबेडकर नगर जमानतकर्ता: 1. शिव कुमार सिंह पुत्र राम कनक सिंह ग्राम—गयासपुर, पोस्ट— किछौछा, टांडा जिला—अंबेडकर नगर 2. जगत नारायण यादव पुत्र राजा राम ग्राम— नवादा खुर्द, पो. सुरजू पुर जिला. अम्बेडकर नगर	सांम्यिक बंधक भूमि एवं भवन स्थिति—प्लॉट संख्या 442, क्षेत्रफल 450 वर्गमीटर विक्रय विलेख संख्या 1754, दिनांक 26.11.1997 और 306 दिनांक 13.03.2000 क्षेत्र—गांव—मंगुखडिला पोस्ट—अरैया, तहसील— जलालपुर, जिला—अंबेडकर नगर में स्थित है चौहद्दी डीड के अनुसार: (विक्रय विलेख संख्या 1754 दिनांक 26.11.1997)—पूर्व—जलालपुर से बसखारी रोड, पश्चिम: विक्रेता व अन्य का बाग, उत्तर—रामलौट का प्लॉट, दक्षिण—इकबाल अहमद की दुकान चौहद्दी डीड के अनुसार: (विक्रय विलेख सं. 306 दिनांक 13.03.2000) पूर्व—जलालपुर से बसखारी रोड रामलौट, दक्षिण—अहमद बोथेस की दुकान, पश्चिम—मुशातरी का प्लॉट, उत्तर—मुशातरी का प्लॉट दक्षिण—इजहार अहमद का प्लॉट मालिक: ठाकुरदीन	27.11.2019	रु. 17,59,000.00
		19.02.2021	रु. 01,76,000.00
		समाचार—पत्र में प्रकाशित कब्जा सूचना की तिथि 24.02.2021	सांकेतिक कब्जा

शाखा : अकबरपुर, जिला-अम्बेडकरनगर

उधारकर्ता—मैसर्स सिद्धांत ज्वैलर्स प्रो—राम निरंजन पुत्र कामता प्रसाद, निवासी—ग्राम— फतेहपुर पकारी, पो. शहजादपुर जिला अंबेडकर नगर जमानतकर्ता: (1) लालजी शुक्ला पुत्र राम केवल शुक्ला निवासी कृष्णा नगर कालीनी फतेहपुर पकारी शहजादपुर अम्बेडकर नगर 224122 (2) इम्तिआज अली पुत्र अली मुल्लाह, निवासी रा. शहजादपुर, पो. अकबरपुर, जिला अम्बेडकरनगर 224122	(1) टाइटल डीड संख्या 1246/1981 के माध्यम से खरीदा गया प्लॉट, प्लॉट नं. 435 मि, ग्राम एवं पोस्ट फतेहपुर पकारी जिला अम्बेडकरनगर में स्थित, क्षेत्रफल—459 वर्गफुट (2) टाइटल डीड संख्या 559/2004 के माध्यम से खरीदा गया, प्लॉट संख्या 435 मि ग्राम एवं पोस्ट फतेहपुर पकारी जिला अम्बेडकरनगर में स्थित, क्षेत्रफल—345 वर्गफुट जोकि राम निरंजन पुत्र कामता प्रसाद के नाम पर है। कुल बंधक क्षेत्रफल—804 वर्गफुट (459 + 345) डीड (1246/1981) के अनुसार चौहद्दी— पूर्वरु राम निरंजन का घर, पश्चिम— राम जीत का घर, उत्तर— राम सुंदर का घर, दक्षिण— अकबरपुर से पहिलीपुर तक सड़क डीड (559/2004) के अनुसार चौहद्दी— पूर्व—श्रीमती भागीरथी का घर, पश्चिम— राम निरंजन का घर, उत्तर— अनिल कुमार का घर, दक्षिण— अकबरपुर से महरूआ तक सड़क	05.11.2024	रु. 83,74,000.00
		29.01.2025	रु. 08,37,400.00
		समाचार—पत्र में प्रकाशित कब्जा सूचना की तिथि 03.02.2025	सांकेतिक कब्जा

शाखा : कुचेरा बाजार, जिला-अयोध्या

उधारकर्ता : मैसर्स धर्मेश कुमार यादव पुत्र राम शंकर निवासी—इनायतनगर, अयोध्या उ.प्र. — 224228 जमानतकर्ता : 1) रमेश कुमार पुत्र राम शंकर निवासी ग्राम+पो—इनायतनगर, मिर्जापुर, अयोध्या, उ.प्र. —224228 (2)सोनु पुत्र राम अमिलाख निवासी ग्राम—पूरे दत्त कदमपुर, कदनपुर, मिर्जापुर, अयोध्या, उ.प्र.—224228	सर्वे नंबर 854 में प्लॉट नंबर 1462 से बनी संपत्ति , ग्राम—इनायतनगर, परगना—पश्चिम राठ, उप पंजीकरण—मिल्कीपुर व जिला—अयोध्या के अंतर्गत। चौहद्दी : उत्तर : राम कृपाल की दुकान, दक्षिण : विद्या देवी की दुकान, पूर्व: अयोध्या—रायबरेली रोड, पश्चिम: धर्मेश कुमार व अन्य की जमीन	02.04.2025	रु. 14,79,600.00
		16.06.2025	रु. 1,47,690.00
		समाचार—पत्र में प्रकाशित कब्जा सूचना की तिथि 21.06.2025	सांकेतिक कब्जा

शाखा : अकबरपुर, जिला-अम्बेडकरनगर

उधारकर्ता : मैसर्स साहू ट्रंक हाउस एण्ड फर्नीचर प्रो.—श्री राम सागर पुत्र परमेश्वरदीन जमानतकर्ता : (1) पुद्दन साहू पुत्र रामसमुझ निवासी—ग्राम—शहजादपुर अकबरपुर, अम्बेडकरनगर (2) हौसिला प्रसाद एसओ सूर्यबली निवासी ग्राम—पहिलीपुर, अम्बेडकरनगर	खाता संख्या 250 प्लॉट संख्या 987 मि, विक्रय विलेख संख्या 334/2005 क्षेत्रफल—440 वर्ग फीट की संपत्ति बंधक, गांव मीरजापुर पोस्ट—अकबरपुर, परगना—अकबरपुर, तहसील—अकबरपुर, जिला—अंबेडकरनगर में स्थित है। चौहद्दी (डीड 334/2005 के अनुसार: पूर्व—भूमि राम उजागिर, पश्चिम—हाउस राम नवल, उत्तर—राम उजागिर व हौसिला कृषि भूमि, दक्षिण—अकबरपुर महरूआ रोड स्वामी— राम सागर पुत्र परमेश्वर दीन	24.01.2024	रु. 17,77,000.00
		15.04.2024	रु. 1,77,700.00
		समाचार—पत्र में प्रकाशित कब्जा सूचना की तिथि 20.04.2024	सांकेतिक कब्जा

बिक्री के नियम एवं शर्तें : 1. इच्छुक बोलीदाताओं को मुहरबन्द लिफाफे में अपनी बोली जमा करनी है। (लिफाफे के ऊपर स्पष्ट और पठनीय बोली क्रम सं. एवं प्रकाशन की तिथि वर्णित होनी चाहिए। 2. बोलीदाताओं को बोली के साथ अग्रिम में फैजाबाद में देययोग्य एवं प्राधिकृत अधिकारी, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के पक्ष में डीडी/बैंकर्स चेक के रूप में जमा धरोहर राशि के रूप में आरक्षित मूल्य का 10% जमा/संलग्न करना होगा। सर्वोच्च बोली मूल्य (आरक्षित मूल्य से कम की नहीं होनी चाहिए) को सफल बोलीदाता के रूप में माना जाएगा और शेष असफल बोलीदाताओं की ईएमडी एक सप्ताह के अन्दर बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी। 3. सफल बोलीदाता को डीडी/बैंकर्स चेक के रूप में अगले दिन बोली रकम (ईएमडी को छोड़कर) का 15% जमा करना होगा और शेष अनिवार्य रूप से बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के अन्दर जमा करना होगा, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके द्वारा पूर्व में जाना की गयी रकम जब्त कर दी जाएगी। 4. प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताये या पूर्व सूचना दिये बोली/सर्वोच्च बोली को रद्दीकार/अस्वीकार/रद्द/निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। प्राधिकृत अधिकारी बिक्री/नीलामी की तिथि को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 5. प्राधिकृत अधिकारी किसी भी प्रकार के बकाया प्रमारों/वेनदारियों/भार/करों/सरकारी बकायों और अन्य पक्ष के दावों व बकायों के लिए जवाबदेह नहीं होंगे। 6. सम्पत्ति को आरक्षित मूल्य से कम में किसी भी रकम पर बेचा नहीं जाएगा। सफल बोलीदाता को सभी स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क का भुगतान स्वयं करना होगा। 7. यदि ऐसा पाया जाता है कि दो या अधिक बोलीदाताओं की एक समान बोली रकम है तो प्राधिकृत अधिकारी उनके मध्य पुनः नयी बोली आमंत्रित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। 8. बोली/बिक्री बैंक की पुष्टि के अधीन होगी। सम्पत्ति को 'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो कुछ है' और 'वहां जो कुछ भी है' आधार पर बेचा जा रहा है। 9. अगर कोई कर्जदार/गारंटीदाता/बंधककर्ता नीलामी से पहले बैंक को पूर्ण बकाये का भुगतान कर देता है तो नीलामी को रोक दिया जाएगा। अतः कर्जदार/गारंटीदाता/बंधककर्ता के पास नीलामी से पूर्व प्रतिभूत आस्तियों को निर्गत करने का अवसर होगा जो प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 की धारा 13 की उप—(8) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन संशोधन नियमों 2002 द्वारा) के अधीन बकाया पूर्ण राशि एवं प्रमारों के भुगतान के अधीन होगा। 10. यह बोलीदाताओं की एकमात्र जिम्मेदारी है कि धारा ये सम्पत्तियों के संबंध में संतुष्ट एवं पुष्ट हों। वे अपराध 2:00 बजे से साथ 5:00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस पर संबंधित शाखा से समय लेकर सम्पत्ति को देख कर निरीक्षण कर सकते हैं। 11. आयकर अधिनियम की धारा 194—आईए के तहत 50 लाख रुपये से अधिक की सम्पत्ति खरीदने पर 1 प्रतिशत टीडीएस के रूप में देय होगा। 12. यह बिक्री नोटिस कर्जदारों/गारंटीकर्ता (ओं)/बंधककर्ता (ओं) के लिए विशेष रूप से तथा जनता/सर्वसाधारण के लिए सामान्य रूप से है। 13. बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया प्रतिभूत लेनदारों की वेबसाइट में प्रदान किए गये लिंक यानि <https://www.barodapbank.in/sarfeisnotice.php> देखें।

कर्जदारों/गारंटीदाताओं/कानूनी वारिसों/बंधककर्ता(ओं) को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि नीलामी से पूर्व बैंक को उपरोक्त वर्णित सभी बकाये का भुगतान करें. अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो बंधक सम्पत्ति को वर्णित तिथि को बेच दिया जाएगा और अगर कोई अन्य बकाया शेष होगा तो ऐसे उचित ब्याज प्रमारों एवं व्यय के साथ उनसे वसूल किया जाएगा।